Urgent

संख्याः ईडीएन–यू (जी–1) वर्दियां/– 12264–69
कार्यालय शिक्षा उप–निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)

दिनांक ऊना 22 जून 2019

सेवा में

खण्ड स्तर के प्रधानाचार्य
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला
अम्ब, हरोली,कलोह, मुबारिकपुर थानाकंला, व ऊना (छात्रा)
जिला ऊना

विषयः– "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे कक्षा छठी से बाहरवीं तक के छात्र–छात्राओं को वर्ष 2018–19 की निःशुल्क स्कूल वर्दी की आपूर्ति एंवम आंबटन बारे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय पर शिक्षा निदेशक (प्रा0) हिमाचल प्रदेश शिमला के पत्र संख्याः शिक्षा प्रा0 एच0 (6) 3–10/2018 दिनांक 27–4–2019 के सन्दर्भ में इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है । जिसकी प्रति आपको भेजकर निर्देश दिए जाते है कि पत्र के अनुसार कार्यवाही करें ।

संलग्नः 04 पृष्ठ

शिक्षा उप–निदेशक उच्चतर
ऊना जिला ऊना (हि0प्र0)

संख्या : शिक्षा (प्रा0)एच0 (6)3–10/2018
प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय,
हिमाचल प्रदेश ।
दिनांक शिमला– 171001 अप्रैल, 2019

अति आवश्यक
महत्वपूर्ण/समयबद्ध
व्यक्तिगत ध्यानार्थ

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
27 APR 2019
शिमला–1

प्रेषित :–
1. समस्त उप निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा), हिमाचल प्रदेश ।
2. समस्त उप निदेशक (उच्च शिक्षा), हिमाचल प्रदेश ।

विषय :– "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे कक्षा पहली से बाहरवीं तक के छात्र–छात्राओं को वर्ष 2018–19 की निःशुल्क स्कूल वर्दी की आपूर्ति एवम् आबंटन बारे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर जैसा कि आपको विदित है, कि पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी सरकार द्वारा सरकारी पाठशालाओं में शिक्षा ग्रहण कर रहे कक्षा पहली से बाहरवीं तक के सभी छात्र– छात्राओं को "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 की निःशुल्क स्कूल वर्दियों का आबंटन किया जाएगा, जिसके लिए सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से ई–निविदा के आधार पर वर्ष 2018–19 की निःशुल्क स्कूल वर्दी की आपूर्ति हेतु स्वीकृत एल–1 कम्पनी M/s Mafatlal Industries Ltd., Corporate Office, Kaledonia, Office No. 3, 6th Floor, Sahar Road, Andheri(East), Mumbai- 400069 दिनांक 08–03–2019(प्रति संलग्न) को आपूर्ति आदेश (Supply Order)(परचेज आर्डर न0 1–585–2019) जारी किया जा चुका है। उक्त स्वीकृत एल–1 कंम्पनी द्वारा शीघ्र ही वर्ष 2018–19 की स्कूल वर्दी की आपूर्ति का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा, इसलिए शिक्षा विभाग के सभी चिन्हित (Identified)स्कूल वर्दी प्राप्तकर्ता अधिकारियों (Indenting Officers)को उक्त स्वीकृत एल–1 कंम्पनी द्वारा वर्ष 2018–19 की आपूर्ति की जाने वाली स्कूल वर्दी की प्राप्ति एवम् आवंटन बारे निम्नलिखित आवश्यक एवम् महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए जा रहे है:–

1. उक्त स्वीकृत एल–1 कंम्पनी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली स्कूल वर्दी को शिक्षा विभाग के चिन्हित(Identified)सभी प्राप्तकर्ता अधिकारियों(Indenting Officers)(128 BEEO's and 124 Principals of GSSS) को वर्ष 2018–19 की निःशुल्क स्कूल वर्दी प्राप्त करने हेतु आपके माध्यम से स्वीकृत Master School Uniform Samples (छात्र–छात्राओं)के एक– एक सेट उपलब्ध करवाये जा रहे है। जिन्हे आप **सभी प्रात्तकर्ता अधिकारियों (Indenting Officers)(BEEOs/Principals of GSSS)** को शीघ्र उपलब्ध करवाऐं तथा उन्हे यह निर्देश दिए जाते हैं कि वह Master School Uniform Samples को सुरक्षित स्थान में रखना सुनिश्चित करें(under proper key & lock)। इसके अतिरिक्त सभी Indenting Officers तथा पाठशालाओं को यह भी निर्देश दिए जाते है कि वह Indenting Officers के कार्यालय में तथा पाठशालाओं में स्कूल वर्दियों को सुरक्षित स्थान पर रखना तथा उसका उचित रख रखाव भी सुनिश्चित करें(under proper key & lock)।

2. शिक्षा विभाग के उक्त सभी चिन्हित प्राप्तकर्ता अधिकारी (Indenting Officers)एल–1 कंम्पनी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली स्कूल वर्दियों की प्राप्ति हेतु अपने–अपने कार्यालयों में **अपनी अध्यक्षता में एक तीन सदस्यी कमेटी का गठन** करेगें तथा वह कमेटी स्कूल वर्दी की आपूर्ति का Master Sample के साथ मिलान (Matching) करना सुनिश्चित करेगी। आपूर्ति की गई स्कूल वर्दी का मास्टर सैम्पल के साथ ठीक मिलान(Matching) न होने की स्थिति में सम्बन्धित Indenting Officers मामले को शीघ्र शिक्षा विभाग या हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के ध्यान में लाए, ताकि मामले में नियमानुसार शीघ्र अग्रिम कार्रवाई की जा सके। इसलिए इस सन्दर्भ में आप प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित करें कि इस स्थिति में सभी चिन्हित Indenting Officers के कार्यालयों(128 BEEOs

and 124 Principal of GSSS) से स्कूल वर्दी का पाठशालाओं को आवंटन तब तक न करें जब तक इस सन्दर्भ में सम्बन्धित Indening officers को विभाग द्वारा कोई अग्रिम निर्देश जारी न किए जाए।

3. वर्दियों के सैटस/पैकेटस की आपूर्ति एवम् प्राप्ति आपूर्ति आदेश में निर्धारित सभी शर्तों एंव नियमों के अनुसार होनी चाहिए। आपूर्ति की गई वर्दियां यदि निर्धारित शर्तों एवम् नियमों एवं गुणवत्ता से भिन्न पाई जाती है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ई–निविदा/अनुबन्ध एवम् आपूर्ति आदेश की शर्तों एवम् नियमों के आधार पर स्वीकृत एल–1 कम्पनी के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

4. "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत बच्चों में वर्दियों के आवटंन हेतू इस वर्ष से यह निर्णय लिया गया है, कि वर्दियों के आवटंन से पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम वर्दियों के random sample नमूनों की स्वीकृत लैब से लैब टैस्टिंग करवाएगा तथा लैब टैस्टिंग की रिर्पोट के उपरान्त ही आपूर्ति की गई वर्दियों का आवटंन पाठशालाओं में छात्र–छात्राओं को किया जाएगा। **यदि लैब टैस्टिंग की रिर्पोट आने से पहले पाठशालाओं में छात्र–छात्राओं को वर्दियों का आवटंन किया जाता है, तो इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हित किए गए प्रत्येक प्रात्तकर्ता अधिकारी (Indenting Officers)(BEEOs/Principals of GSSS)** जिम्मेवार होगें।

5. प्रत्येक वर्दी प्रात्तकर्ता अधिकारी(Indenting Officers)(BPEOs/ Principals GSSS) यह सुनिश्चित करेगें कि वर्दियों की लैब टैस्टिंग हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को वर्दियों के Random sample भेजने हेतू अपने **कार्यालय में गठित तीन सदस्य कमेटी** कुल प्राप्त की गई वर्दियों में से एक वर्दी का random sample (छात्र–छात्राओं का अलग–अलग)निकालकर उन random sample को संबन्धित प्राप्तकर्ता अधिकारी निम्न प्रपत्र अनुसार अपनी मोहर एंवम् हस्ताक्षर करने के उपरान्त, उन्हे प्रबधक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ब्लाक न0 16–17, एस.डी.ए. कमर्शियल कम्पलैक्स कसुम्पटी, शिमला–171009, के कार्यालय को **तीन दिनों के भीतर** व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करवायेंगें।

<u>प्रमाण पत्र</u>

क) पाठशाला का नामः
ख) भेजे गये नमूनों (random sample)की संख्याः
(हस्ताक्षर एवं संबन्धित अधिकारी की मोहर तथा वर्दियों के सैट नं. के ब्यौरे सहित)
ग) दिनांक जिस तिथि को सैम्पल(random sample)निकाला गयाः
घ) आपूर्तिकर्ता का नाम, बिल संख्या व दिनांकः(जिसके अंर्तगत वर्दियां प्राप्त हुई)

हस्ताक्षर (मोहर सहित)
सक्षम अधिकारी का पूरा नाम
कार्यालय/पाठशाला का नाम

6. हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम प्रात्तकर्ता अधिकारियों (BPEOs/ Principals GSSS) द्वारा भेजे गए वर्दियों के random samples को समयबद्ध तरीके से सरकार द्वारा स्वीकृत लैब से परीक्षण(lab. testing) करवाएगा तथा उक्त निगम Lab. test रिर्पोट अभिलम्ब e-mail के माध्यम् से प्रात्तकर्ता अधिकारियों (BPEOs/ Principals GSSS) को सूचित करेगा तद्दोपरान्त ही वर्दियों का आवटंन पाठशालाओं में छात्र– छात्राओं को किया जाएगा। जिसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा अपने कार्यालय में एक computerized time bound mechanism(MIS) तैयार करेगा ।

7. स्वीकृत वर्दी आपूर्तिकर्ता(एल–1 कम्पनी) को शिक्षा विभाग के सभी चिन्हित प्राप्तकर्ता अधिकारियों से वर्दियों के मूल सत्यापित कय बिल व जी.आर. हस्ताक्षर एवं मोहर सहित प्रबधक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, ब्लाक न0 16–17, एस.डी.ए. कमर्शियल

कमपलैक्स कसुम्पटी, शिमला–171009, के कार्यालय को भुगतान हेतु भिजवाना सुनिश्चित करना होगा।

8. प्रत्येक चिन्हित वर्दी प्रात्तकर्ता अधिकारी (BPEOs/ Principals GSSS) यह भी सुनिश्चित करेगें कि वर्दियों की प्राप्ति के समय वह स्वीकृत आपूर्तिकर्ता(एल–1 कम्पनी) से वर्दियों के मूल बिल, जी.आर., लैब टैस्ट रिपोर्ट इत्यादि को पूर्ण रूप से प्राप्त कर ले।

9. आपको यह भी निर्देश दिए जाते है कि आप अपने कार्यालय से जो अधिकारी/कर्मचारी वर्दी की सीट को डील(deal) करते है **(Dealing with uniform seat)** को प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में 29.04.2019 एवम् 30.04.2019 को स्कूल वर्दी के स्वीकृत मास्टर सैम्पल (Uniforms master sample) प्राप्त करने हेतू प्रतिनियुक्त करें, क्योंकि स्वीकृत एल–1 कम्पनी द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय/आपके माध्यम से मास्टर सैम्पल (Uniforms master sample) **शिक्षा विभाग के चिन्हित प्रत्येक प्रात्तकर्ता अधिकारियों (BEEOs/ Principals of GSSS)** को उपलब्ध करवाये जाएगें, जिन्हे वह वर्ष 2019–20 के लिए भी अपने कार्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखेगें, क्योंकि वर्ष 2019–20 में भी वर्दियों की आपूर्ति इन्ही नमूनों (master samples) के आधार पर की जानी है ।

10. इस सन्दर्भ में जैसा कि आपको अवगत है कि वर्तमान में पूरे देश में आम चुनाव–2019 के मध्यनजर आचार संहिता(Model Code of Conduct)लागू है, इसलिए इस बावत विभाग द्वारा पाठशालाओं में बच्चों को वर्ष 2018–19 की निःशुल्क स्कूल वर्दी के आवंटन का मामला सरकार के माध्यम से चुनाव आयोग के साथ उठाया गया है, इसलिए आप यह सुनिश्चित करें कि सभी चिन्हित Indenting Officers के कार्यालयों(128 BEEOs and 124 Principals of GSSS) से स्कूल वर्दी का पाठशालाओं को आवंटन तब तक न करें जब तक इस सन्दर्भ में सरकार/चुनाव आयोग की अनुमति उन्हे विभाग द्वारा जारी न की जाए।

11. सभी जिला उप–निदेशक प्रारम्भिक एवम् उच्च शिक्षा को यह भी निर्देश दिये जाते है कि यदि आपके जिले को विभाग द्वारा पूर्व में जारी वर्दियों की सिलाई की धनराशि (BEEOs/Principals of GSSS/DDEEs/DDHEs offices) कार्यालय में शेष बचा (unspent) है, तो इसकी सूचना निम्न प्रपत्र अनुसार इस निदेशालय को तुरन्त उपलब्ध करवाई जाए ताकि विभाग द्वारा 2018–19 की निःशुल्क स्कूल वर्दियों की सिलाई हेतू जो धनराशि आपके कार्यालय को जारी की जानी है, उसमे शेष बची हुई (unspent amount) धनराशि का समायोजन करने के उपरान्त बाकी धनराशि आपको जारी की जा सके :–

क्र0 स0	बैंक का नाम तथा बैंक अकाउट नम्बर (जिसमें स्कूल वर्दी की सिलाई का पैसा जारी किया जाना है)	बैंक का आई0 एफ0 एस0 कोड(IFS code of the Bank)	पिछली वर्षो का सिलाई का पैसा जो शेष बचा हुआ है(Unspent amount of stitching charges from previous years)

12. जैसा कि आपको यह भी विदित है कि स्कूल वर्दी योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा कक्षा पहली से दसवी के सभी छात्र–छात्राओं को दो वर्दियों के सैट हेतु मु0 200/– रूपये प्रति छात्र–छात्रा प्रतिवर्ष वर्दियों की सिलाई हेतू प्रदान किए जाते है, इसके लिए प्रत्येक चिन्हित वर्दी प्रात्तकर्ता अधिकारी (BPEOs/Principals GSSS) को यह भी निर्देश दिए जाते है कि वह वर्दी की सिलाई के पैसे को बच्चों के Bank Account में ही online transfer(DBT) करने हेतू सभी छात्र–छात्राओं के Bank Accounts (linked with Aadhar and IFS Code) का डाटा समय रहते एकत्रित करें तथा जैसे ही वर्दियों की आपूर्ति एवम् आवटंन होगा उसके साथ ही वर्दियों की सिलाई के पैसे भी छात्र–छात्राओ के Bank Accounts में भेजें जाए।

13. सभी उप–निदेशक प्रा0/उच्च शिक्षा को यह भी सूचित किया जाता है कि स्वीकृत एल–1 कम्पनी M/s Mafatlal Industries Ltd., Corporate Office, Kaledonia, Office No. 3, 6th Floor, Sahar Road, Andheri(East), Mumbai- 400069 द्वारा स्कूल वर्दी की आपूर्ति

प्रत्येक चिन्हित प्राप्तकर्ता अधिकारी (Indenting officers i.e. BEEOs/GSSS Principals) के कार्यालय(FOR) तक की जाएगी, इसलिए प्राप्तकर्ता अधिकारियों के कार्यालय से स्कूलों तक वर्दियों की ढूलाई (carriage) हेतू transportation/carriage charges की अदायगी का भुगतान विभाग द्वारा किया जाएगा। अतः वर्दियों की ढूलाई(carriage) के बिल आप अपने कार्यालय में कार्यरत अनुभाग अधिकारी (वि० एवम् ले०) से सत्यापित (हस्ताक्षर एवं मोहर सहित) करवाने के उपरान्त सभी प्रशासनिक औपचारिकताओं को पूर्ण करके प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय को भेजने की कृपा करे, ताकि विभाग द्वारा नियमानुसार इसका भुगतान आपको किया जा सके। इस सन्दर्भ में आपको यह भी निर्देश दिए जाते है कि आप किसी भी पाठशाला में बच्चों से स्कूल वर्दियों की ढूलाई(carriage) हेतू किसी भी प्रकार का transportation/carriage charges वसूल न करें। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चों से वर्दियों की ढूलाई का कार्य न करवायें, यदि इस सन्दर्भ में किसी प्रकार की शिकायत सरकार/विभाग के ध्यान में आती है तो दोषी पाठशाला प्रमुखों/कर्मचारियों/अध्यापकों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

14. "अटल स्कूल वर्दी योजना" के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 की निःशुल्क स्कूल वर्दी के आबंटन के सन्दर्भ में अपको पुनः यह विशेष निर्देश दिए जाते है कि वर्तमान में पूरे देश आम चुनाव–2019 के मध्यनजर प्रदेश में भी आचार संहिता(Model Code of Conduct)लागू है, इसलिए इस वावत विभाग द्वारा पाठशालाओं में बच्चों को वर्ष 2018–19 की निःशुल्क स्कूल वर्दी के आवंटन का मामला सरकार के माध्यम से चुनाव आयोग के साथ उठाया गया है, इसलिए आप प्राथमिकता के आधार पर यह सुनिश्चित करें कि सभी चिन्हित Indenting Officers के कार्यालयों(128 BEEOs and 124 Principals of GSSS) से स्कूल वर्दी का पाठशालाओं को आवंटन तब तक न करें जब तक इस सन्दर्भ में सरकार/चुनाव आयोग की अनुमति उन्हे विभाग द्वारा जारी न की जाए।

कृप्या इसे अति आवश्यक और समयवद्ध समझे।

प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय (हि.प्र.)
27 APR 2019
शिमला–1

(रोहित जमवाल, हि०प्र०से०)
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला –171001

पृष्ठांकन संख्या   सम   दिनांक   अप्रैल, 2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–171002 को सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. प्रबधंक निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ब्लाक न0 16–17, एस.डी.ए. कमर्शियल कमपलैक्स कसुम्पटी, शिमला–171009 को उनके पत्र संख्याः Pro.ASVY 2018-19-29689-704 दिनांक 08.03.2019 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवम् आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश, शिमला–171001 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वह भी अपने अधीनस्थ सभी उप निदेशक (उच्च शिक्षा) तथा पाठशाला प्रमुखों(GSSS & GHS) को इस सम्बन्ध में अपने कार्यालय से भी उपरोक्त दिशा–निर्देश जारी करने की कृपा करें।
4. रक्षक नस्ति।

(रोहित जमवाल, हि०प्र०से०)
निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
हिमाचल प्रदेश, शिमला –171001